निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1931 (श0)

(सं0 पटना 123) पटना, वृहस्पतिवार, 11 फरवरी 2010

बिहार विधान परिषद्, सचिवालय

अधिसूचना

13 जनवरी 2009

सं. वि.प.अ.प्र.-213/05-85(1)/वि.प.—बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2006 के नियम 2 (क) एवं (ख) के आलोक में भारत संविधान की 10वीं अनुसूची, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-29 (क) और सर्वोपरि गठबंधन की राजनीति का उदय जैसे जाने कितने अवदानों से समृद्ध संसदीय प्रणाली के मद्देनजर माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद् ने सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता के लिए निम्नलिखित आधार निर्धारित करने की कृपा की है

1. दल भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल हो,
2. दल के सदस्यों की संख्या कम-से-कम इतनी हो कि वह सदन में गणपूर्ति बनाए रखने में समर्थ हो,
3. वैसी स्थिति में जब कोई विपक्षी दल सदन की बैठक के लिए निर्धारित गणपूर्ति की न्यूनतम संख्या की शर्त पूरी नहीं करता हो, सदन के सबसे अधिक सदस्य संख्या वाले दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता दी जा सकती है, बशर्ते दल के सदस्यों की कुल संख्या-09 से कम नहीं हो,
4. सदन के वैसे विपक्षी दल, जिन्होंने साधारण निर्वाचन के पूर्व कार्यक्रम के आधार पर परस्पर समझौता किया हो और उसकी घोषणा की हो, दल समूह के रूप में विपक्षी दल की मान्यता के हकदार हो सकते हैं, यदि वे कंडिका (1), (2) और (3) की शर्ते पूरी करते हो।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,
मुंगेश्वर साहु.
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 123-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in